

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्य प्रदेश

“कचनार” ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : bhopal@emptownplan.gov.in

क्रमांक 980 / डायवर्सन-18 / अभिमत / जिका / नग्रानि / 2013
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 / 12 / 2015

अपर कलेक्टर
प्रभारी अधिकारी,
कलेक्टर न्यायालय,
जिला भोपाल, मध्य प्रदेश

विषय :- ग्राम मुंगालिया कोट तहसील हजूर, जिला भोपाल के खसरा क्रमांक- 142/2/1/3/ख रकबा 0.405 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-118/2/1/2/ख रकबा 0.280 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-182/142/2/2/2 रकबा 1.600 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-182/142/2/3/2 रकबा 1.600 हेक्टेयर कुल रकबा 3.885 हेक्टेयर (38,850.00 वर्गमीटर) पर आवासीय योजना के निर्माण के विकास हेतु अभिमत ।

आवेदक-आवेदक-भूमि स्वामी- श्रीमती कलाबाई बेवा श्री मूलचंद, कम्माबोई, शकुन बाई, विनिता बाई सभी पुत्रियाँ श्री मूलचंद, पता निवासी ग्राम, श्री उत्तम सिंह पुत्र श्री मानसिंह, श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, पता निवासी ग्राम

परियोजना का नाम :- “रायल गुलाब सिटी”

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक-1501/री.कले./2015 भोपाल, दिनांक-26/10/2015

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-1126 से 1132 दिनांक 21.6.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत पत्र में वर्णित ग्राम मुंगालिया कोट तहसील हजूर, जिला भोपाल के खसरा क्रमांक-142/2/1/3/ख रकबा 0.405 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-118/2/1/2/ख रकबा 0.280 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-182/142/2/2/2 रकबा 1.600 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-182/142/2/3/2 रकबा 1.600 हेक्टेयर कुल रकबा 3.885 हेक्टेयर (38,850.00 वर्गमीटर) पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-1126 से 1132 दिनांक 21.6.2013 द्वारा मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1999 के नियम 10(4) के अनुसार कमजोर आय वर्ग हेतु आवासीय इकाईयाँ प्रस्तावित की गई थी । आपके संदर्भित पत्र में उल्लेख अनुसार मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनी का विकास) नियम, 2014 के नियम 10 में उल्लेख अनुसार आवासीय योजना के निर्माण संबंधी विकास कार्यों को कार्यान्वित किये जाने हेतु अभिमत चाहा गया है । पूर्व में इस कार्यालय द्वारा प्रदत्त अभिमत क्रमांक-1126 से 1132 दिनांक 21.6.2013 द्वारा प्रदत्त अभिमत को निरस्त मान्य करते हुए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 172 (1) के तहत व्यपवर्तन हेतु अभिमत निम्न शर्तों पर आवासीय विकास हेतु अभिमत दिया जाता है :-

(1) निम्न लिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-

1. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959
2. मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनी का विकास) नियम, 2014.
3. मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल भोपाल ।
4. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
5. भू अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल
6. राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में).
7. मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल
8. जल संसाधन विभाग (बांध, नहर व नदियों से लगी भूमि के विकास हेतु).
9. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह अनिवार्य रूप से प्राप्त करें ।

(2) इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-1126 से 1132 दिनांक 21.6.2013 द्वारा दिया गया अभिमत स्वतः निरस्त मान्य होगा ।

(3) आवेदक द्वारा भूमि स्वामी एवं कालोनाईजर के मध्य पंजीकृत ज्वाईंट वेंचर इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका पालन सुनिश्चित कराते हुये ही विकास अनुमति जारी की जावे ।

- (4) मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनी का विकास) नियम, 2014 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही विकास कार्य प्रारंभ किया जाये ।
- (5) प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जाये एवं अपूर्ण भूखण्डों का समायोजन किया जावे ।
- (6) इस कार्यालय एवं राजस्व विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) दिनांक 17.5.2013 में दर्शित माप एवं स्थिति के आधार पर ही मान्य होगा ।
- (7) जल प्रदाय की व्यवस्था हेतु संबंधित पंचायत से लिखित स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इस योजना में जल प्रदाय की व्यवस्था संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा की जावेगी ।
- (8) संस्था द्वारा प्रस्तुत खसरा अक्स/बटान में किसी भी प्रकार के विसंगति होने एवं भूमि स्वामित्व विवाद पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक संस्था की होगी ।
- (9) नियमानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रूफ हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी ।
- (10) मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-23/ 2003/32 भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 में उल्लेखित अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट के तहत संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जावे । योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इन्वायरमेंट इम्पेक्ट्स असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से इस प्रकार का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे निर्माण के पूर्व ई.आय.ए. क्लीयरेंस लेना अनिवार्य होगा । भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की अनुसूची की कंडिका 8 (क) के अनुसार 20,000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 1,50,000 वर्गमीटर से कम भवन एवं संनिर्माण परियोजनाओं में तथा 8 (ख) के अनुसार 50 हेक्टेयर क्षेत्र या उससे अधिक और/या 1,50,000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरी और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाना अनिवार्य है ।
- (11) प्रस्तावित अभिन्यास में कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनी का विकास) नियम, 2014 के नियम अनुसार कमजोर आय वर्ग हेतु विकसित भूखण्ड देने के बजाय आवासीय भवन निर्मित किये जाने का विकल्प दिया है । इस संबंध में कुल विकय योग्य क्षेत्रफल 20701.63 वर्गमीटर का 6 प्रतिशत भूखण्डीय क्षेत्र 1242.10 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 3 प्रतिशत ई डब्ल्यू एस हेतु 17 भूखण्ड एवं 3 प्रतिशत एल. आई. जी. हेतु 9 आवासीय भूखण्ड क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है । इन किये गये प्रावधानों का नियमानुसार परीक्षण कर इनका पालन सुनिश्चित करें ।
- (12) आवेदक को मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनी का विकास) नियम, 2014 के समस्त नियमों का पालन अनिवार्य करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाना होगा ।
- (13) किसी भी प्रकार का भूमि विवाद होने पर यह अभिमत स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।
- (14) जल-मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जावे ।
- (15) योजना में किचन एवं बाथरूम के पानी को हरित क्षेत्रों के रख रखाव हेतु उपयोग में लाने की व्यवस्था की जावे ।
- (16) इस अभिन्यास को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे । विकास अनुमति जारी करने के पूर्व भूमि स्वामित्व संबंधी परीक्षण कर लिया जाये । इस संबंध में प्रस्तुत अनुबंध/पावर ऑफ अटार्नी/अधिकार पत्र इत्यादि की वैधानिकता का परीक्षण करने के उपरांत ही विकास अनुमति जारी की जाये ।
- (17) अभिन्यास की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा ।
- (18) स्थल पर अभिन्यास संबंधी जानकारी एक 1.50X1.25 मीटर साईज बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा ।
- (19) संस्था को विकास कार्य पूर्ण करने के उपरांत इस आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय से प्राप्त करना होगा कि अभिन्यास के अनुसार ही स्थल पर विकास कार्य किया गया है जिसके पश्चात ही कालोनी में भवन अनुज्ञा, संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त की जावेगी
- (20) आवासीय भूखण्डों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के भूखण्डों हेतु विकास मापदण्ड पृथक से लेना होगा ।
- (21) संस्था को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।
- (22) नियमानुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये । इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा । स्थल पर उपरोक्त मान के अनुसार वृक्षारोपण कर लिया गया हो यह

- सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही भवन अनुज्ञा ग्राम पंचायत द्वारा दी जावे । स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखा जावे ।
- (23) यह अभिमत तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा ।
- (24) आवेदक संस्था द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन अभिन्यास के आधार पर परियोजना का नाम "रायल गुलाब सिटी" रहेगा एवं बगैर लिखित स्वीकृति के इनमें कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा ।
- (25) राज्य शासन के जनसंकल्प 2008 के परिप्रेक्ष्य में समस्त आवासीय कालोनियों में सार्वजनिक उद्यान का निर्माण और रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा । अतः कालोनियों में अभिन्यास के अनुरूप छोड़े गये खुले स्थानों के विकास में पार्क, बगीचे एवं वृक्षों का समूह, छोटे बच्चों के खेल के स्थान, उचित प्रकाश, पेयजल व्यवस्था, जल-मल निकासी की व्यवस्था सड़क एवं भवन निर्माण के साथ ही पूर्ण की जाये इसके बिना विकास पूर्ण नहीं माना जाये ।
- (24) नाले के किनारे से (राजस्व अभिलेख में दर्ज) 9.0 मीटर हरित क्षेत्र (खुला) रखना अनिवार्य होगा ।
- (25) एल. टी. इलेक्ट्रिक लाईन के नीचे किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार निर्धारित दूरी तक खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा ।
- (26) प्रस्तावित योजना में दर्शित सुविधाओं हेतु नियोजन मापदण्ड मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानान्तर्गत रखना अनिवार्य होगा ।
- (27) प्रस्तावित 18.0 मीटर चौड़े मार्ग को अभिन्यास में दर्शित अनुसार रखना होगा ।
- (28) नाले पर पुलिया बनाने से पूर्व संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा ।
- (29) मध्य प्रदेश खनिज(अवैध उत्खन्न परिवहन भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में हुए संशोधन के नियम का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा ।
- (30) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह अभिमत निरस्त मान्य होगा ।

पु. कमांक / डायवर्सन-18 / अभिमत / जिका / नगरानि / 2013 संयुक्त संचालक
प्रतिलिपि :- नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्य प्रदेश भोपाल, दिनांक / 12 / 2015

1. उपमहाप्रबंधक / कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर प्रेषित किये जाने एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु ।
3. तहसीलदार, तहसील हजूर (संबंधित वृत्त), जिला भोपाल की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक / पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे पर विकास अनुज्ञा जारी किये जाने हेतु अभिमत दिया गया है" की टीप अंकित किये जाने बाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
4. सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. सर्वेयर, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ ।
7. सरपंच, ग्राम पंचायत-मुंगालिया कोट तहसील हजूर, जिला भोपाल को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. आवेदक-भूमि स्वामी- श्रीमती कलाबाई बेवा श्री मूलचंद, कम्माबोई, शकुन बाई, विनिता बाई सभी पुत्रियाँ श्री मूलचंद, पता निवासी ग्राम, श्री उत्तम सिंह पुत्र श्री मानसिंह, श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, पता निवासी ग्राम मुंगालिया कोट, तहसील हजूर, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु ।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्य प्रदेश

3071212015

1:4000

DATE	ISSUANCE	NOTES	OWNER
1	10/27/75	40 HOURS	
2	11/17/75	40 HOURS	
3	12/17/75	40 HOURS	
4	1/17/76	40 HOURS	
5	2/17/76	40 HOURS	
6	3/17/76	40 HOURS	
7	4/17/76	40 HOURS	
8	5/17/76	40 HOURS	
9	6/17/76	40 HOURS	
10	7/17/76	40 HOURS	
11	8/17/76	40 HOURS	
12	9/17/76	40 HOURS	
13	10/17/76	40 HOURS	
14	11/17/76	40 HOURS	
15	12/17/76	40 HOURS	
16	1/17/77	40 HOURS	
17	2/17/77	40 HOURS	
18	3/17/77	40 HOURS	
19	4/17/77	40 HOURS	
20	5/17/77	40 HOURS	
21	6/17/77	40 HOURS	
22	7/17/77	40 HOURS	
23	8/17/77	40 HOURS	
24	9/17/77	40 HOURS	
25	10/17/77	40 HOURS	
26	11/17/77	40 HOURS	
27	12/17/77	40 HOURS	
28	1/17/78	40 HOURS	
29	2/17/78	40 HOURS	
30	3/17/78	40 HOURS	
31	4/17/78	40 HOURS	
32	5/17/78	40 HOURS	
33	6/17/78	40 HOURS	
34	7/17/78	40 HOURS	
35	8/17/78	40 HOURS	
36	9/17/78	40 HOURS	
37	10/17/78	40 HOURS	
38	11/17/78	40 HOURS	
39	12/17/78	40 HOURS	
40	1/17/79	40 HOURS	
41	2/17/79	40 HOURS	
42	3/17/79	40 HOURS	
43	4/17/79	40 HOURS	
44	5/17/79	40 HOURS	
45	6/17/79	40 HOURS	
46	7/17/79	40 HOURS	
47	8/17/79	40 HOURS	
48	9/17/79	40 HOURS	
49	10/17/79	40 HOURS	
50	11/17/79	40 HOURS	
51	12/17/79	40 HOURS	
52	1/17/80	40 HOURS	
53	2/17/80	40 HOURS	
54	3/17/80	40 HOURS	
55	4/17/80	40 HOURS	
56	5/17/80	40 HOURS	
57	6/17/80	40 HOURS	
58	7/17/80	40 HOURS	
59	8/17/80	40 HOURS	
60	9/17/80	40 HOURS	
61	10/17/80	40 HOURS	
62	11/17/80	40 HOURS	
63	12/17/80	40 HOURS	
64	1/17/81	40 HOURS	
65	2/17/81	40 HOURS	
66	3/17/81	40 HOURS	
67	4/17/81	40 HOURS	
68	5/17/81	40 HOURS	
69	6/17/81	40 HOURS	
70	7/17/81	40 HOURS	
71	8/17/81	40 HOURS	
72	9/17/81	40 HOURS	
73	10/17/81	40 HOURS	
74	11/17/81	40 HOURS	
75	12/17/81	40 HOURS	
76	1/17/82	40 HOURS	
77	2/17/82	40 HOURS	
78	3/17/82	40 HOURS	
79	4/17/82	40 HOURS	
80	5/17/82	40 HOURS	
81	6/17/82	40 HOURS	
82	7/17/82	40 HOURS	
83	8/17/82	40 HOURS	
84	9/17/82	40 HOURS	
85	10/17/82	40 HOURS	
86	11/17/82	40 HOURS	
87	12/17/82	40 HOURS	
88	1/17/83	40 HOURS	
89	2/17/83	40 HOURS	
90	3/17/83	40 HOURS	
91	4/17/83	40 HOURS	
92	5/17/83	40 HOURS	
93	6/17/83	40 HOURS	
94	7/17/83	40 HOURS	
95	8/17/83	40 HOURS	
96	9/17/83	40 HOURS	
97	10/17/83	40 HOURS	
98	11/17/83	40 HOURS	
99	12/17/83	40 HOURS	
100	1/17/84	40 HOURS	

OWNER

3762842E
327116E
Bridle

WILLIAM D. YUSUF
PLANNER #4-994230316
6-16078-17 (A) N
County Reg. No. 17865
Law & County Planning, P.O. Box
11000, 6000 E. Grand Avenue,
Denver, CO 80231, 303-751-3000

PROPOSED LAY-OUT PLAN FOR THE RESIDENTIAL DEVELOPMENT ON KILDEER ROAD: 16/02/17/2 KHA, 14/2/12/1/3 KHA, 10/2/14/2/3/2/2, 10/2/14/2/1/3/2 KHA, 10/2/14/2/1/3/2 KHA, COURT, TERESI HUCOR, DEVI BHOPAL M.P. BELONGING TO :

- 1) MRS KALA BA WAI (LATE MR. BHOPAL)
- 2) MRS KALAMBA BA DO (LATE MR. BHOPAL)
- 3) MRS BHAKHAI BA DO (LATE MR. BHOPAL)
- 4) MRS. VINITA BA DO (LATE MR. BHOPAL)
- 5) MR. GABBAR BHOPAL DO BA DO (LATE MR. BHOPAL)
- 6) MR. UTTAM BHOPAL DO MR. BHOPAL BHOPAL

STATEMENT OF AREA

AREA UNDER ROAD WIDTHING	=	282.00 SQ.M
NET PLANNING AREA	=	18458.00 SQ.M

STATEMENT OF AREA	ACRES	FEET
MOBILE AREA	2.47	8071.23
OPEN AREA	5.34	17,346.17
OPEN AREA FOR SERVICE	1.00	3,281.00
AREA OF L.L.G. PLOTS	1.00	3,281.00

AREA OF E. W. 3 PL. 0.18	5	621.85	8.60	7	54
AREA OF ROAD		# 12263.82	8.00	51	
TOTAL AREA		# 34498.06	8.00	100	

STATEMENT OF E. W. H. 101-3594	
PLANTABLE AREA	
AREA REQUIRED FOR 1 W. E. 110	
STATE OF IOWA	100-1
102-19 FOR	100

AREA OF L.L.G. PLOTS - (H)	AREA OF E.W.S. PLOTS - (I)
52.05 SQM	5.56 SQM
52.05 SQM	5.56 SQM

[illegible]

10101
 10102
 10103
 10104
 10105
 10106
 10107
 10108
 10109
 10110
 10111
 10112
 10113
 10114
 10115
 10116
 10117
 10118
 10119
 10120
 10121
 10122
 10123
 10124
 10125
 10126
 10127
 10128
 10129
 10130
 10131
 10132
 10133
 10134
 10135
 10136
 10137
 10138
 10139
 10140
 10141
 10142
 10143
 10144
 10145
 10146
 10147
 10148
 10149
 10150
 10151
 10152
 10153
 10154
 10155
 10156
 10157
 10158
 10159
 10160
 10161
 10162
 10163
 10164
 10165
 10166
 10167
 10168
 10169
 10170
 10171
 10172
 10173
 10174
 10175
 10176
 10177
 10178
 10179
 10180
 10181
 10182
 10183
 10184
 10185
 10186
 10187
 10188
 10189
 10190
 10191
 10192
 10193
 10194
 10195
 10196
 10197
 10198
 10199
 10200
 10201
 10202
 10203
 10204
 10205
 10206
 10207
 10208
 10209
 10210
 10211
 10212
 10213
 10214
 10215
 10216
 10217
 10218
 10219
 10220
 10221
 10222
 10223
 10224
 10225
 10226
 10227
 10228
 10229
 10230
 10231
 10232
 10233
 10234
 10235
 10236
 10237
 10238
 10239
 10240
 10241
 10242
 10243
 10244
 10245
 10246
 10247
 10248
 10249
 10250
 10251
 10252
 10253
 10254
 10255
 10256
 10257
 10258
 10259
 10260
 10261
 10262
 10263
 10264
 10265
 10266
 10267
 10268
 10269
 10270
 10271
 10272
 10273
 10274
 10275
 10276
 10277
 10278
 10279
 10280
 10281
 10282
 10283
 10284
 10285
 10286
 10287
 10288
 10289
 10290
 10291
 10292
 10293
 10294
 10295
 10296
 10297
 10298
 10299
 10300
 10301
 10302
 10303
 10304
 10305
 10306
 10307
 10308
 10309
 10310
 10311
 10312
 10313
 10314
 10315
 10316
 10317
 10318
 10319
 10320
 10321
 10322
 10323
 10324
 10325
 10326
 10327
 10328
 10329
 10330
 10331
 10332
 10333
 10334
 10335
 10336
 10337
 10338
 10339
 10340
 10341
 10342
 10343
 10344
 10345
 10346
 10347
 10348
 10349
 10350
 10351
 10352
 10353
 10354
 10355
 10356
 10357
 10358
 10359
 10360
 10361
 10362
 10363
 10364
 10365
 10366
 10367
 10368
 10369
 10370
 10371
 10372
 10373
 10374
 10375
 10376
 10377
 10378
 10379
 10380
 10381
 10382
 10383
 10384
 10385
 10386
 10387
 10388
 10389
 10390
 10391
 10392
 10393
 10394
 10395
 10396
 10397
 10398
 10399
 10400
 10401
 10402
 10403
 10404
 10405
 10406
 10407
 10408
 10409
 10410
 10411
 10412
 10413
 10414
 10415
 10416
 10417
 10418
 10419
 10420
 10421
 10422
 10423
 10424
 10425
 10426
 10427
 10428
 10429
 10430
 10431
 10432
 10433
 10434
 10435
 10436
 10437
 10438
 10439
 10440
 10441
 10442
 10443
 10444
 10445
 10446
 10447
 10448
 10449
 10450
 10451
 10452
 10453
 10454
 10455
 10456
 10457
 10458
 10459
 10460
 10461
 10462
 10463
 10464
 10465
 10466
 10467
 10468
 10469
 10470
 10471
 10472
 10473
 10474
 10475
 10476
 10477
 10478
 10479
 10480
 10481
 10482
 10483
 10484
 10485
 10486
 10487
 10488
 10489
 10490
 10491
 10492
 10493
 10494
 10495
 10496
 10497
 10498
 10499
 10500
 10501
 10502
 10503
 10504
 10505
 10506
 10507
 10508
 10509
 1

Handwritten signature: *[Signature]*

[illegible]

CHAMBER

[illegible]

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and a vertical line of stitching or binding along the right edge. There is no text or other markings on the page.